न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
025/2021 (रसद) (GCMS 2021/517)	22.12.2021	18.05.2022

टनवान

राजस्थान सरकार जरिये इरफान कुरैशी प्रवर्तन अधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

देवकी नन्दन पिता दौलतराम आयु 28 वर्ष निवासी गौतम स्वीट्स के पीछे, मेन रोड रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी एक तरफा

पैरोकार सरकार विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सीज्ड घरेलू उपयोग के 08 एल.पी.जी. सिलेण्डर्स को राजसात करने बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी ईरफान कुरैशी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30.10.2021 को समय दोपहर 01 बजे पर उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा के साथ ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान के तहत मैन रोड रावतभाटा बाजार में स्थित मिठाई नमकीन की दुकान **M/s** गौतम स्वीट्स पर पहुॅचे। मौके पर देवकी नन्दन पुत्र दौलतराम आयु 28 वर्ष निवासी अपनी दुकान के पीछे स्थित मकान, मिले जिन्होंने निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में गैस **LPG** के घरेलू एवं छोटे सिलेंडरर्स रखे पाए गये, जिनके बारे में पूछने पर देवकी नन्दन द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किये। ऐसी स्थिति में **LPG** सिलेण्डर्स के घरेलू उपयोग का होने के बाजवूद व्यवसायिक स्थल पर पाया जाने के कारण संलग्न फर्द अभिग्रहण अनुसार मौके से जब्त किये गये। मौके पर फर्द सुपुर्दगी नामा तैयार कर सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से उक्त आठों सिलेण्डर्स पंकज पारीक, प्रतिनिधि, एच.पी. भारी पानी कॉपरेटिव गैस एंजेसी,

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

रावतभाटा की सुपुर्दगी में दिये जाकर खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु पाबंद किया गया। इस प्रकार देवकी नन्दन पुत्र दौलतराम आयु 28 वर्ष निवासी गौतम स्वीट्स के पीछे, मैन रोड रावतभाटा द्वारा आठ घरेलू गैस सिलेण्डर्स के व्यवसायिक स्थल पर रख कर दुरूपयोग किये जाने से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त आठ घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण का आदेश प्रदान फरमावें। ?

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 18.05.2022 को विपक्षी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी ने प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन कर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 30.10.2021 को विपक्षी की दुकान पर जांच करने पर विपक्षी के दुकान में विपक्षी के कब्जे में 08 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी की दुकान में विपक्षी के कब्जे में 08 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों एवं सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी न्यायालय में भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा **LPG** गैस के घरेलू श्रेणी का कुल 08 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें भरी हुई कुल **6.9 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 30.10.2021 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा विपक्षी देवकी नन्दन पुत्र दौलतराम आयु 28 वर्ष निवासी गौतम स्वीट्स के पीछे, मैन रोड रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ से दिनांक 30.10.2021 से जब्त शुदा **LPG** गैस के घरेलू श्रेणी का कुल 08 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें भरी हुई कुल **6.9 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **18.05.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-S/D-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़